न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :—आर.के. जायसवाल, आई.ए.एस , कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट धौलपुर
प्रकरण संख्या :— 35/2019 (आर0सी0एम0एस0 नं0 2019/00059)
व उनवानी प्रकरण :—

1. राजबहादुर पुत्र जगन्नाथसिंह जाति ठाकुर निवासी नगला केहरी थाना बसेड़ी जिला धौलपुर———————————————————— प्रार्थी ।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग जिला कलैक्ट्रैट धौलपुर——————————————अप्रार्थी ।

प्रार्थना पत्र बावत आर्म्स अनुज्ञा पत्र बहाल/ नवीनीकरण अन्तर्गत धारा 54 आयुध नियम 1962

उपस्थितिः—

1. प्रार्थी की ओर से :— श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट।
2. अप्रार्थी की ओर से :— सुश्री दिव्या कमठान सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)।

निर्णय दिनांक 31.10.2019

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 66/1975 जो कि दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत था, को आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण किये जाने हेतु दिनांक 06.12.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी के आवेदन पत्र पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट चाही गई थी। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 201 दिनांक 06.01.2017, 1453 दिनांक 27.05.2017 से प्रार्थी के अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही किये जाने की अनुसंषा की थी। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट के आधार पर आदेश कमांक 2318—20 दिनांक 21.07.2017 के द्वारा प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 66/1975 को निरस्त किये जाने के आदेश दिये गये थे।

उक्त आदेश दिनांक 21.07.2017 से व्यथित होकर प्रार्थी ने माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर में अपील दायर की। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 05.07.2019 के द्वारा प्रार्थी की अपील स्वीकार कर अप्रार्थी के आदेश कमांक 2318—20 दिनांक 21.07.2017 को निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि प्रार्थी को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर तथ्यों एवं संभावनाओं के परस्पर विरोधाभास को दूर करते हुए पुनः तार्किक एवं न्याय संगत आदेश पारित करें।

(आर0 के0 जायसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर के आदेश दिनांक 05.07.2019 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा एवं अप्रार्थी की ओर से सुश्री दिव्या कमठान लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी उपस्थित हुए। प्रकरण में अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण के सम्बन्ध में पत्र कमांक 528 दिनांक 07.08.2019, 588 दिनांक 02.09.2019 से जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 3363 दिनांक 21.09.2019 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी के विरूद्ध थाना बसेड़ी पर मु0 नं0 287/2016 धारा 447, 504, ता0 हि0 मे पंजीबद्ध हुआ जिसमें चार्जशीट नं0 178 दिनांक 30.09.2016 में किताकर चालान दिनांक 06.10.2016 को माननीय ग्राम न्यायालय बसेड़ी में पेश किया गया था। जिसमें दिनांक 25.01.2018 को माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त करने का निर्णय किया जा चुका है। मु0 नं0 140/91 धारा 447 ता0 हि0 में पंजीबद्ध हुआ जिसमें चार्जशीट नं0 94 दिनांक 31.08.91 में किता कर चालान दिनांक 06.12.91 में माननीय न्यायालय एम0जे0एम0 बाड़ी में पेश किया गया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का निर्णय किया जा चुका है। मु0 नं0 188/93 धारा 323, 341, 325, 307 ता0 हि0 में पंजीबद्ध हुआ जिसमें चार्जशीट नं0 149 दिनांक 24.09.93 में किता कर चालान दिनांक 07.01.94 को माननीय न्यायालय एम0जे0एम0 बाड़ी में पेश किया गया था, जिसमें दिनांक 30.01.95 को न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश धौलपुर द्वारा आवेदक को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का निर्णय किया जा चुका है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी उक्त रिपोर्ट में प्रार्थी के आर्म्स अनुज्ञा पत्र को बहाल किये जाने की अनुशंषा की है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी ने अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 66/75 को समयावधि में नवीनीकरण कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट चाही गई । जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि प्रार्थी के विरूद्ध चले मुकदमों में प्रार्थी को बरी किया जा चुका है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा की है। उपरोक्त मुकदमों के अलावा प्रार्थी के विरूद्ध कोई मुकदमा दर्ज नहीं हैं। प्रार्थी का चाल चलन अच्छा रहा है, प्रार्थी एक सीधा सादा व्यक्ति है। जानमाल की सुरक्षा हेतु प्रार्थी को शस्त्र की आवश्यकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 66/1975 को नवीनीकरण किये जाने के आदेश दिये जावे ।

अप्रार्थी के विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस के दौरान तर्क किया कि प्रार्थी अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके थाना बसेड़ी में तीन मुकदमें दर्ज हुऐ है। प्रार्थी एक झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है, जो कभी भी हथियार का दुरूपयोग कर कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति भंग कर सकता हैं। ऐसे हालातों के मद्दे नजर लोकशान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से एवं शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है, जो कतही गलत नहीं है। आदेश दिनांक 21.07.2017 को कानून के दायरे में रहकर ही पारित किया गया है, जो

(आर0 के0 जायसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

पूर्णरूपेण न्यायसंगत है, जिसमें कतई किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन किया गया । प्रार्थी ने अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र को समयावधि में नवीनीकरण हेतु अप्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों में प्रार्थी बरी हो चुका है। प्रार्थी के विरूद्ध वर्तमान में थाने पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। प्रार्थी का चाल चलन अच्छा है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने प्रार्थी के अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा की है। राज्य सरकार के गृह (ग्रुप–9) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांकः प.1.(13)गृह–9/2006 दिनांक 16.12.2006 के बिन्दु संख्या 5 के उप बिन्दु (5.2.4) में अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण आवेदन के निस्तारण बावत निर्देश दिये गये हैं कि **"तदन्तर अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञापत्र धारी के आचरण बावत संतुष्टि की जाकर अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करेगा।"** राज्य सरकार के परिपत्र की पालना में प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण किया जाना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी राजबहादुर पुत्र जगन्नाथसिंह जाति ठाकुर निवासी नगला केहरी थाना बसेड़ी जिला धौलपुर के आर्म्स अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी द्वारा पारित आदेश कमांक 2318–20 दिनांक 21.07.2017 निरस्त किये जाने तथा प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 66/75 को दिनांक 31.12.2019 तक नवीनीकरण किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को दी जावे। पत्रावली फैसलशुमार हो। बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राकेश कुमार जायसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर